आई॰ टी॰ सैल

# अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
## पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०–निग / सारा–4 (पथ)–आरोप–14 / 2019 पटना, दिनांक :– 6/3/19

**कार्यालय आदेश** 68

पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत CMBD के तहत छपवा–हरसिद्धि–सेवराहा पथ में IRQP कार्य की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3 के द्वारा जाँचोंपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुशंसा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों/अनिमियतताओं के लिए विभागीय पत्रांक–1117(S)We दिनांक–13.02.2017 एवं पत्रांक–4945(S) दिनांक–08.06.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में मो० अजिजुर रहमान, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक–24.06.2017 की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

2. प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि/अनियमितता पायी गयीः–

(i) पथ के 18 वें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसतन मात्रा 4.16% पायी गयी, जो 5% के प्रावधान से कम है।

(ii) पथ के 18 वें कि०मी० में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त Aggregate औसतन 4.852% Oversize पाया गया है।

(iii) पथ के 18 वें कि०मी० में कराये गये SDBC कार्य में औसत Field density 1.93gm/cc पायी गयी है, जो अपेक्षित मान 2.30gm/cc से कम है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री रहमान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसमें उक्त त्रुटि संख्या (ii) के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य पाया गया परन्तु त्रुटि संख्या (i) एंव (iii) के संबंध में तकनीकी तौर पर श्री रहमान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ऐसा कोई ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर युक्तिसंगत ढ़ंग से विचार किया जा सके, जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा के क्रम में श्री रहमान द्वारा दिनांक–24.06.2017 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के उप नियम–V के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः–

(i) **"तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक"।**

ह०/–

**अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त**
**–सह–विशेष सचिव,**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

E/Nigrani Section-2011-2012/Devendra/Adhisuchna & Ka. Adesh-2014

ज्ञापांक :–                                                                 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी /उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मो० अजिजुर रहमान, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल मोतिहारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–

**अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त**
**–सह–विशेष सचिव,**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक 1857(e)                                                     **पटना, दिनांक :–** 6/3/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

5/3/19

**अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त**
**–सह–विशेष सचिव,**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

5/3

33/11